

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(निगम 26)

अज अदालत :- अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बाली जिला पाली राज.
अपीलाण्ट बनाव रेस्पोंडेण्ट्स

1. श्रीमती केला पुत्री छगनलाल जाति सरगड़ा
2. दिनेश कंडारा पुत्र जवारामजी जाति मेहतर निवासीगण नाणा, तहसील बाली जिला पाली राज.

1. श्रीमती चंदाबाई पत्नि छिमताराम वर्ध जाति सरगरा, निवासी मालनु, तहसील बाली जिला पाली राज.
2. कालुराम पुत्र छगनलाल
3. श्रीमती गीता पुत्री छगनलाल जातिगण सरगडा
4. धनराज कंडारा पुत्र जवाराम जाति मेहतर
5. नाथीदेवी पत्नी छगनलाल जाति सरगडा
6. प्रवीण कुमार पुत्र छगनलाल जाति सरगडा
7. श्रीमती मंजू पुत्री छगनलाल जाति सरगडा
8. श्रीमती विमला पुत्र छगनलाल जाति सरगडा निवासी नाना, तहसील बाली जिला पाली राज.
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाली जिला पाली राज.

किस्म मुकदमा : राजस्व अपील संख्या : 30 / 2025

(जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या : 2025 / 132)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
07-07-2025	<p>अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत तहसीलदार बाली के आदेश दिनांक 30.12.2024 के विरुद्ध पेश की है।</p> <p>अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। अतः अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर हो। अधीनस्थ न्यायालय का रिकर्ड तलब हो। रेस्पोंडेण्ट जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 28.07.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बाली</p>	<p>क्र. 861 दि. 07/07/25 की सम्मन जाती</p>
28/07/25	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलाण्ट उप. रेस्पों. की तहसील शिपोंट अफाफ इनफार दी पत्रावली वामे तहसील आयुक्त दिनांक 26/08/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली</p>	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुयें
26.08.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने उपस्थित होकर एक विद्धो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त अनवान के प्रकरण में पक्षकारों के मध्य आपसी समझाईश से राजीनामा हो गया है, ऐसी स्थिति में वे उक्त अपील को आगे चलाना नहीं चाहते हैं तथा जरिये विद्धो निर्णीत करवाना चाहते हैं। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील जरिये विद्धो खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p>अतिरिक्त जिला कलेक्टर वाली अतिरिक्त जिला कलेक्टर वाली, जिला-पाली</p>	<p>Handwritten signature: <i>Handwritten signature</i></p>

128.20
 2025/08/26
 128.20